भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या : 69*

गुरुवार, 07 दिसम्बर, 2023(16 अग्रहायण, 1945 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर
*****

हवाई खेलों के लिए विनियामक ढांचा

***69. डॉ. सुकान्त मजूमदारः**
श्री कृपानाथ मल्लाहः

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में हवाई खेलों के क्षेत्र में कोई पहल की है जिसमें विनियामक ढांचे को अद्यतन किया जाना या उसमें कोई बढ़ोतरी किया जाना शामिल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैः

(ख) क्या सरकार का हरियाणा के नारनौल सहित देश में मौजूदा हवाई खेल केन्द्रों को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना लाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैः

(ग) वर्ष 2017 से भारत ने किन-किन देशों के साथ मुक्त आकाश (ओपन स्काई) समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैः

(घ) इन समझौतों के फलस्वरुप नागर विमानन उद्योग में क्या प्रमुख उपलब्धियां हासिल हुई हैं अथवा प्रगति हुई है और इसके परिणामस्वरुप सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ड.) : विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*****

"हवाई खेलों के लिए विनियामक ढांचा" के संबंध में लोक सभा के दिनांक 07.12.2023 के तारांकित प्रश्न (*) संख्या 69 के उत्तर से संबंधित विवरण ।

(क) से (ख): जी हां। नागर विमानन मंत्रालय ने देश में एयर स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय एयर स्पोर्ट्स दिशानिर्देश (एनएएसजी) 2023 जारी किए हैं।

ये दिशानिर्देश, देश में हवाई खेल संस्कृति को बढ़ावा देने, सुरक्षित प्रचालनों से संबंधित अच्छी अंतरराष्ट्रीय परिपाटियों को अपनाने, एक प्रभावी शासन संरचना विकसित करने, वैश्विक हवाई खेल आयोजनों में भागीदारी और भारत में हवाई खेल उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने आदि के मुख्य उद्देश्य की रूपरेखा बनाती हैं।

नियामक ढांचे की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) भारत में, एयरो क्लब ऑफ इंडिया के माध्यम से हवाई खेलों के लिए एक शासन संरचना होगी, जो भारत में हवाई खेलों के लिए शीर्ष निकाय होगी और राष्ट्रीय एयरो स्पोर्ट्स नियन्त्रण (एनएसी) के रूप में विश्व स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी।
(ii) एसीआई हवाई खेलों के सभी पहलुओं पर अधिशासन का प्रावधान करेगा, जिसमें विनियमन, प्रमाणन, प्रतियोगिताएं, पुरस्कार और दंड शामिल हैं, तथा यह केवल इन्हीं तक सीमित नहीं होगा ।
(iii) एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएसएफआई) के माध्यम से नागर विमानन मंत्रालय, हवाई खेलों की निगरानी करेगा। सचिव, नागर विमानन, एएसएफआई के अध्यक्ष होंगे। राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को निपटाने का अंतिम प्राधिकारी, एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएसएफआई) होगा।
(iv) एसीआई - (एनएसी इंडिया), नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) और/या बीसीएएस के सहयोग से, प्रत्येक एयर स्पोर्ट्स कमीशन के लिए वैश्विक स्तर पर सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुसार, अपने-अपने एयर स्पोर्ट के लिए उपकरण, बुनियादी ढांचे, कर्मियों और प्रशिक्षण आदि के लिए संरक्षा, सुरक्षा, मानकों और रखरखाव का निर्धारण करेगा। इसमें, विचलन और जानबूझकर गैर-अनुपालन के मामले में की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाइयों को निर्दिष्ट किया जाएगा। भारत में, विशाल भौगोलिक विस्तार, विविध स्थलाकृति और विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के कारण यहां हवाई खेलों की अत्यधिक संभावनाएँ हैं।

एनएएसजी, 2023, देश में एयर स्पोर्ट्स हब को बढ़ावा देने के लिए नारनौल, हरियाणा सहित समर्थकारी प्रावधान बना रहा है।

(ग) से (ड.): वर्ष 2017 से, भारत ने 12 देशों अर्थात् बोत्सवाना, जापान, माल्टा, मोरक्को, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, तंजानिया, जाम्बिया, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, कनाडा और न्यूजीलैंड के साथ ओपन स्काई समझौता किया है। ओपन स्काई समझौते से हवाई सम्पर्क बढ़ता है। ये समझौते, दोनों देशों के नामित वाहकों को, संबंधित हवाई अड्डों पर स्लॉट की उपलब्धता के अध्यधीन असीमित प्रचालन करने में मदद करते हैं। इसके अलावा, एयरलाइनें, द्विपक्षीय समझौतों के दायरे में किसी भी बाजार और नेटवर्क का चयन करके सेवा प्रदान कर सकती है और प्रचालन कर सकती हैं। भारत में किसी भी प्वाइन्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करना, मार्ग की आर्थिक व्यवहार्यता और अन्य संबंधित कारकों के आधार पर एयरलाइंस द्वारा लिया जाने

वाला पूर्णत: वाणिज्यिक निर्णय है और सरकार एयरलाइनों की प्रचालनिक योजनाओं में हस्तक्षेप नहीं करती है।

ओपन स्काई समझौते के कारण सकल घरेलू उत्पाद में परिणामी वृद्धि के संबंध में कोई विशेष ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

****